

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0, जयपुर

क्रमांक— एफ.4(ई) (1/6) अति.कार्य/ अलेसे-III/

दिनांक :- 28/11

कार्यालय आदेश

श्री गोकुल चन्द बामडिया, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय— सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर अपने वर्तमान पद के साथ-साथ कार्यालय न्यायमूर्ति श्री सुनिल कुमार गर्ग, जाच आयोग, जयपुर में कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद का कार्य भी अग्रिम आदेश/पदस्थापन होने तक संपादित करेंगे। अतिरिक्त कार्य के लिए राजस्थान सेवा नियम 35 एवं 50 के अनुसार नियमानुसार दौहरा कार्यभत्ता देय होगा।

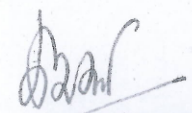

निदेशक

क्रमांक— एफ.4(ई) (1/6) अति.कार्य/ अलेसे-III/ 9100 — 9105

दिनांक :- 28/11

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:—

- 1- सचिव, न्यायमूर्ति श्री सुनिल कुमार गर्ग, जाच आयोग, जयपुर को उनके पत्र दिनांक 21-11-2011 के संदर्भ में
- 2- अधीक्षक, सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
- 3- कोषाधिकारी, शहर जयपुर।
- 4- श्री गोकुल चन्द बामडिया, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय— सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर
- 5- निजी सहायक, निदेशक कोष एवं लेखा।
- 6- निजी पत्रावली/रक्षित पंजिका।
- ✓ 7- कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक-II)